

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 854 / 2016 / जोधपुर
अपील संख्या 855 / 2016 / जोधपुर
अपील संख्या 856 / 2016 / जोधपुर
अपील संख्या 857 / 2016 / जोधपुर

मैसर्स वेक्स होटल एण्ड एस्टेट प्रा.लि.
जोधपुर

अपीलीर्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
वृत्त-ए, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री राजेन्द्र जैन
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.11.2016

निर्णय

ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम,, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 3, 4, 5 व 6/आरवैट/जेयूए/2015-16 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-अ, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा विभिन्न प्रकार के फलों के रस के मिश्रण के रूप में विक्रय किये गये मॉकटेल को निर्माण कार्य एवं नया उत्पाद नहीं मानकर देय शुद्ध कर पर विनियोग अनुदान अस्वीकृत किया गया है, जिसको विधि सम्मत मानते हुए अपीलीय की अपीलें अस्वीकार की गई हैं।


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी एक होटलियर के रूप में कार्यरत है तथा नई इकाई के रूप में राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा कर रही है। इस य निट को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिनांक 03.03.2014 को Rajasthan Investment Pramotion Scheme-2010(जिसे आगे योजना-2010 कहा जायेगा) के अन्तर्गत से सात वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 02.03.2021 तक प्रभावी है। इकाई द्वारा दिनांक 09.03.2014 को दिनांक 03.03.2014 से 31.03.2014, 01.04. 2014 से 30.06.2014, 01.07.2014 से 30.09.2014 एवं 01.10.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के लिए विनियोग अनुदान (Investment Subsidy) हेतु ऑन लाईन आवेदन कर वर्णित अवधि की कुल कर देयता के 30 प्रतिशत का क्लेम किया गया है। चूँकि व्यवहारी द्वारा होटलियर है और उसके द्वारा अपने ग्राहकों को कुकड फूड एवं

बेवरेजेज, शराब, सिगरेट एवं अन्य वस्तुओं को सर्व किया जाता है, किन्तु योजना-2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यवहारी को विनियोग अनुदान मात्र निर्मित वस्तुओं ही देय होने से मोकटेल की बिक्री राशि पर आउटपुट राशि से कमी की जाकर विनियोग अनुदार स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलों के रस से मिश्रण के रूप में बिक्री किये गये मोकटेल को निर्माण कार्य एवं नया उत्पाद नहीं मानकर देय शुद्ध कर पर विनियोग अनुदान अस्वीकृत किया जाने को विधिसम्मत मानते हुए अपीलें अस्वीकार की हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि योजना-2010 के अन्तर्गत दिनांक 03.03.2014 से सात वर्ष की अवधि के लिए विनियोग अनुदान स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए विभाग द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 2/61 जारी किया गया था। उनका कथन है कि व्यवहारी स्वयं द्वारा निर्मित मोकटेल उत्पाद जो कि विभिन्न प्रकार के जूसों को मिलाकर तैयार किया गया है, जो नया वाणिज्यिक उत्पाद होने के कारण निर्माण की श्रेणी में आता है, इसलिए उसके द्वारा बिक्री माल को निर्माण की श्रेणी में मानकर अस्वीकृत किया गया विनियोग अनुदान लाभांश बहाल किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यथी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न फलों के रसों का मिश्रण किया गया है तथा उक्त मिश्रण जो किसी निश्चित अनुपात अथवा सुविधानुसार किये जाने पर उससे उस मूल तत्व जिनका मिश्रण किया गया है, से भिन्न नई वाणिज्यिक उत्पाद होना आवश्यक है जबकि हस्तगत प्रकरणों में रसों के मिश्रण के पश्चात भी उसका मूल स्वरूप रस (ज्यूस) ही रहता है, जिसे नया वाणिज्यिक उत्पाद माने जाने का कोई समुचित आधार नहीं है और निर्माण की श्रेणी में माने जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कथन है कि निर्माण की प्रक्रिया से नया उत्पाद बनता है जबकि हस्तगत प्रकरणों में ऐसा नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। योजना-2010 के अन्तर्गत निर्मित माल के उत्पाद पर ही विनियोग अनुदान (Investment Subsidy) के लिए पात्र है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्णय हेतु विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी



द्वारा बिक्री माल निर्माण की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। उक्त बिन्दु पर किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व अधिनियम की धारा 2(22) पर विचार किया जाना समीचीन होगा, जो निर्माण की परिभाषा के सम्बन्ध में है :-

"2(22) Manufacture includes every processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be notified by the State Government."

निर्माण की प्रक्रिया से नया उत्पाद अस्वितत्व में आता है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में विभिन्न फलों के रसों का मिश्रण किया गया है। मिश्रणी जो किसी निश्चित अनुपात अथवा सुविधा अनुसार किये जाने पर उससे उस मूल्य तत्व, जिनका मिश्रण किया जा रहा है, से भिन्न वस्तु का उत्पादन होना आवश्यक है जबकि हस्तगत प्रकरणों में विभिन्न रसों के मिश्रण के पश्चात भी उसका मूल्य स्वरूप रस ही रहता है, जिसे नया वाणिज्यिक उत्पाद माना जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह कथन करना कि उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के फलों के रस के मिश्रण के रूप में विक्रय किये गये मॉकटेल को निर्माण कार्य अथवा नया उत्पाद नहीं माना जा सकता है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विनियोग अनुदान अस्वीकार किया जाना पूर्णतः उचित है।

विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का समग्र रूप से विवेचन करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की गई है, जिसमें यह पीठ हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं समझती है। फलतस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य